उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग – 1
पत्र संख्या 3120/9–आ–1–1999
लखनऊ : दिनांक 02 जुलाई, 1999

कार्यालय–ज्ञाप

योजना आयोग नई दिल्ली, के पत्र संख्या PC/WS/10(S)8/98 दिनांक 10 जून, 1999 के माध्यम से जल संरक्षण हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। प्राधिकरणों एवं आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकसित की जा रही कालोनियों में पेयजल की कमी को दृष्टिगत रखते हुए जल संरक्षण हेतु कार्य–योजना निर्धारित की जा रही है।

1. प्रस्तावित योजना स्थल पर यदि प्राकृतिक तालाब, बड़े गड्ढे अथवा गहरी खाईयाँ हैं तो उनका स्वरूप यथावत बनाए रखा जाए एवं ले–आउट डिजाईन में यह सुनिश्चित किए जाए कि सड़कों इत्यादि का ढाल तालाब की ओर हो ताकि वारिश के पानी का भराव एवं संरक्षण इन गड्ढों में हो सके जिससे अण्डर ग्राउण्ड वाटर स्ट्रेटा की रिचार्जिंग होती रहे परन्तु यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि सीवर अथवा अन्य प्रकार का गन्दा पानी ऐसे गड्ढों में जमा न होने पाए ताकि–भू–जल के प्रदूषण एवं संक्रामक रोगों से सुरक्षा हो सके।
2. विकसित की जा रही कालोनियों में कुछ–कुछ सेक्टरों में छोटे–छोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट बनाए जाए एवं उनका ट्रीटेड वाटर घरेलू लान, पार्कों, सड़क के किनारे वृक्षों की सिंचाई के उपयोग में लाया जाय जिससे उपरोक्त कार्यों में उपयुक्त किए जा रहे स्वच्छ पेय जल पर अनावश्यक भार न पड़े। इस व्यवस्था से मेन ट्रंक सीवर लाईन एवं बड़े ट्रीटमेंन्ट प्लान्ट के निर्माण लागत में भी कमी लाई जा सकती है।
3. विकसित की जा रही कालोनियों में सीवर ट्रीटमेंट प्लान्ट के त्वरित निर्माण पर अत्यधिक बल दिया जाना चाहिए ताकि सीवेज वाटर से नदियों का प्रदूषण रोका जा सके। इस संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्य–योजना का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या – 3120(1)/9–आ–1–1999 तद्दिनाँक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. आवास आयुक्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव